

प्रेषक

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता मामले नियन्त्रक  
पलवल

सेवा में

निदेशक  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता मामले विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक नि०वि०-2021/2455

दिनांक:- 27/07/2021

विषय:- एफ०आई०आर० नं० 103 दिनांक 09.06.2021 पुलिस थाना हसनपुर में जमा हुई मशीनों बारे।

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक नि०वि०-2021/2423 दिनांक 23.07.2021 के सन्दर्भ में शुद्धि पत्र।।

निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति हथीन ने इस कार्यालय में लिखकर दिया है कि एफ०आई०आर० नं० 103 दिनांक 09.06.2021 में श्री रज्जाक डिपूधारक सापनकी पी०ओ०एस० नं० 108900400063, श्री साहिद डिपूधारक पहाडपुर पी०ओ०एस० नं० 108900400117, श्री सब्बीर डिपूधारक पचानका पी०ओ०एस० नं० 108900400157 व अटैच गांव खिल्लुका 108900400156 जो उपरोक्त मुकदमें में गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी पी०ओ०एस० मशीन भी पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है। उक्त डिपोधारकों की अटैचमेंट नजदीकी डिपोधारक के साथ कर दी गई है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	गिरफ्तार किये गये डिपोधारक का नाम	पुलिस द्वारा जब्त की गई मशीन नं०	अटैच किये गये डिपोधारकों का नाम	मशीन नं०
1	श्री साहिद गांव पहाडपुर	108900400117	श्री तारिफ हुसैन गांव चिल्ली	108900400166
2	श्री रज्जाक गांव सापनकी	108900400063	श्री अल्ताफ गांव मलोखडा	108900400112
3	श्री साबिर गांव पचानका अटैच खिल्लुका	108900400156, 108900400157	श्री आरिफ हुसैन गांव गोहपुर	108900400008

मशीन पुलिस कस्टडी में होने के कारण राशन वितरण नहीं किया जा सकता। कृपया जनहित को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण बारे उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट।

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता मामले नियन्त्रक  
पलवल